संख्या-10/सा-3-979/दस-2014-301(18)/2013

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन ।
2- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उ0प्र0।
4- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक: अक्टूबर, 2014

विषय: ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली " ई-पेंशन सिस्टम" को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-850/दस-2014-301(18)/2013 दिनॉक 18-09-2014 द्वारा जनपद बाराबंकी एवं जनपद उन्नाव से दिनॉक 31 अक्टूबर, 2014 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त/ दिवंगत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण"ई-पेंशन सिस्टम" द्वारा निस्तारित किये जाने के आदेश

2/-

दिये गये थे परन्तु शासन स्तर पर संपन्न समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा न तो डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये गये हैं और न ही उनके कार्यालयों में "बायोमीट्रिक डिवाईसेस" स्थापित की गयी हैं, जोकि "ई-पेंशन सिस्टम" के क्रियान्वयन हेतु अनिवार्य है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

(i)- जनपद बाराबंकी एवं जनपद उन्नाव के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा तत्काल यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये। डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जाने के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-886/78-2-2014-आई0टी0/2008 दिनॉक 01-08-2014 की प्रतिलिपि सुविधा के लिये संलग्न है।

(ii)- समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन जनपद बाराबंकी एवं जनपद उन्नाव के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को "ई-पेंशन सिस्टम" के साथ काम्पेटिबल बायोमीट्रिक डिवाईस प्रत्येक दशा में दिनाँक 10 नवम्बर, 2014 तक उपलब्ध हो जाये। "ई-पेंशन सिस्टम" के साथ काम्पेटिबिलिटी के संबंध में विभागाध्यक्षगण निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ अथवा निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश, राज्य सूचना एकक, लखनऊ से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3/-

(iii)-निदेशक, पेंशन तथा अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल एवं फैजाबाद मण्डल कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर एवं उनके कार्यालयों में बायोमीट्रिक डिवाईस की व्यवस्था दिनाँक 10 नवम्बर, 2014 तक सुनिश्चित करायी जाय। अन्य मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालयों के लिये भी उक्त व्यवस्थायें दिनाँक 25 नवम्बर, 2014 तक करा ली जायं।

(iv)-"ई-पेंशन सिस्टम" पर कार्य करने हेतु दिनाँक 05 नवम्बर, 2014 तक पेंशन निदेशालय, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ तथा फैजाबाद मण्डल एवं मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, बाराबंकी एवं उन्नाव का प्रशिक्षण निदेशक, पेंशन द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से सम्पन्न करा लिया जाय।

(v)- बाराबंकी एवं उन्नाव जनपदो के आहरण एवं वितरण अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक एवं निदेशक, पेंशन की देख रेख में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से दिनाँक 12 नवम्बर, 2014 तक पूर्ण करा लिया जाय।

(vi)-उपर्युक्त कार्यवाहियों में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "ई-पेंशन सिस्टम" के माध्यम से पेंशन प्रकरणों का निस्तारण उन सरकारी कर्मचारियों के मामलों में किया

4/-

जायेगा जो जनपद बाराबंकी एवं जनपद उन्नाव से दिनाँक 30 नवम्बर, 2014 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत होंगे।

3- मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी एवं उन्नाव अपने कोषागारों से संबद्ध ऐसे आहरण एवं वितरण अधिकारियों की सूची दिनाँक 16 नवम्बर, 2014 को तैयार कर वित्त विभाग को सीधे उपलब्ध करायेंगे जिनके द्वारा दिनाँक 15 नवम्बर, 2014 तक डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त नहीं कर लिये जाते और जिनके कार्यालयों में बायोमीट्रिक डिवाईसेस स्थापित नहीं करा ली जाती। उनक आहरण एवं वितरण अधिकारियों की भी सूची भेजी जाय जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता।

4- उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या-10/सा-3-979(1)/दस-2014-301(18)/2013, तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

5/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार, आडिट, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ ।

4- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- अपर निदेशक, शिविर कार्यालय (कोषागार निदेशालय), इलाहाबाद।

7- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0।

8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9- नियुक्ति अनुभाग-1/2/3/4/6, उ0प्र0 शासन।

10- न्याय अनुभाग-3/4, उ0प्र0 शासन।

11- वित्त (सेवायें) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

12- वन अनुभाग'1, उ0प्र0 शासन।

13- गृह (पुलिस सेवायें)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 886/78-2-2014-03आई.टी./2008

प्रेषक,

जीवेश नन्दन
प्रमुख सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ : 01 जुलाई, 2014

विषय: एस.एस.डी.जी. योजनान्तर्गत प्रयोग होने वाले डिजिटल सिग्नेचर के सम्बन्ध में।

महोदय,

एस.एस.डी.जी. योजनान्तर्गत प्रयोग होने वाले डिजिटल सिग्नेचर एन.आई.सी. की सर्टीफाइंग अथारिटी (NICCA) द्वारा पूर्व में बनाये जाते रहे हैं। कतिपय कारणों से उक्त संस्था द्वारा डिजिटल सिग्नेचर बनाने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है, जिसके कारण स्टेट पोर्टल से दी जा रही सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है।

उक्त के क्रम में जब तक (NICCA) द्वारा डिजिटल सिग्नेचर जारी करने की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ नहीं की जाती है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जिन अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है अथवा जिन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, उनके लिये उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि. (यूपीएलसी) से डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने की व्यवस्था करायी गयी है।

पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-72-78-2-2008-44आई.टी./2008 दिनांक 11 जनवरी 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से यूपीएसडी को ई-प्रक्योरमेंट परियोजना के अन्तर्गत डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिये नामित किया गया था। इसी क्रम में यूपीएलसी से एस.एस.डी.जी. परियोजना हेतु डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जा सकते हैं, जिस पर होने वाला व्यय का वहन डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (डी.ई.जी.एस) के माध्यम से किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार यूपीएलसी से सम्पर्क कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कार्यवाही की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि. (यूपीएलसी) से सम्पर्क कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव

संलग्नक: यथोक्त

संख्या: (1)/78-2-2014 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र. अपट्रान बिल्डिंग लखनऊ ।
2. प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि., लखनऊ, एस.एस.डी.जी. परियोजनान्तर्गत बनने वाले डिजिटल सिग्नेचर पर त्वरित कार्यवाही हेतु।
3. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव